न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 2276/2016 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 28.11.2016

1. श्री भंवरलाल पिता प्यारेलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु 51 वर्ष निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

–प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पिता शंकरलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. दिनेश पिता शंकरलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
3. पुनमचन्द पिता शंकरलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
4. महेश पिता शंकरलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
5. कैलाश पिता शंकरलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
6. मांगीलाल पिता नारायणलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
7. धापु बाई पत्नी नारायणलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
8. भागवंती बाई उर्फ भागु बाई पत्नी प्यारेलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
9. छगनलाल पिता प्यारेलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
10. मोहनलाल पिता प्यारेलाल पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
11. इन्द्रलाल पिता रामलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
12. मुरलीधर पिता रामलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

13. रमेश पिता रामलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
14. नरेश पिता रामलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
15. नानालाल पिता जवेरलाल जी पुरोहित जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी वारणी की भागल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
16. भुरसिंह पिता जेतसिंह जाति चदाणा राजपूत आयु वयस्क निवासी उनवास तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
17. लहरसिंह पिता जवेरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उनवास तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, खमनोर जिला राजसमन्द।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री सुनील पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

: : **आदेश** : :

दिनांक :– 10.6.19

प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रूपजी का गुडा टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के जमाबन्दी संवत् 2071–74 मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की निम्न विवरण की कृषि भूमि स्थित है खाता सं. 26 मे कुल आराजी किता 09 कुल रकबा 14–08 बीघा एवं खाता सं. 58 आराजी सं. 809/420 रकबा 3–03 बीघा एवं राजस्व ग्राम वारणी की भागल तहसील खमनोर मे खाता सं. 58 मे कुल किता 22 कुल रकबा 4–09 बीघा राजस्व ग्राम उनवास तहसील खमनोर मे खाता सं. 315 कुल किता 07 कुल रकबा 01–10 बीघा स्थित है। प्रार्थी के परिवार का सजरा इस प्रकार है:–

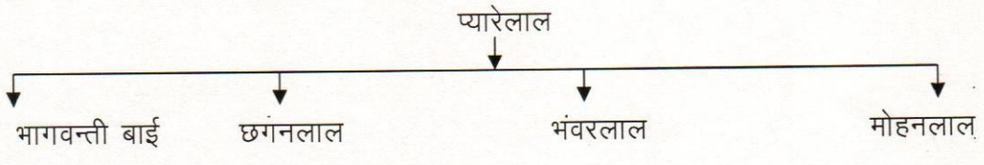

प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 के सजरे अनुसार कृषि भूमि प्यारेलाल जी के फौत होने के बाद प्रार्थी एवं विपक्षी भागवंती बाई, छगनलाल, प्रार्थी भंवरलाल व मोहनलाल की होकर वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित है। जिस कारण प्रार्थी को

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गाथड़ा जिला राजसमन्द

अपने हिस्से की कृषि भूमि को उपजाउ बनाने मे कठिनाई उत्पन्न हो रही है और विपक्षीगण बिना विभाजन कराये वादग्रस्त कृषि भूमि व बीडे से पत्थर बेच देते है और कृषि भूमि से उपज भी बेच देते है पाली डोली को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है। जिस कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन हेतु कहा तो साफ इन्कार कर दिया। जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया। वादग्रस्त कृषि भूमि मे खाता सं. 26 रूपजी का गुडा व ग्राम उनवास के खाता सं. 315 मे भी वर्तमान मे कृषि भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज है। प्रार्थी का देहांत हो चुका है। जिस कारण प्रार्थी प्यारेलाल जी की बजाय सजरे अनुसार वारिसो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि बिना विभाजन कराये विपक्षी खुर्दबुर्द करने पर आमादा है और बीडे में से पत्थर बेचने पर आमदा है। जिस कारण प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना अतिआवश्यक हो गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे है। ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमि बिना विभाजन कराये खुर्दबुर्द कर देगें और बीडे मे से पत्थर बेच देगें।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे प्रार्थी के हिस्से के उपयोग उपभोग मे कोई दखलअंदाजी बाधा रूकावट उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावे न ही किसी अन्य को बिना विभाजन विक्रय करे और बिना विभाजन कराये पत्थर इत्यादि नही निकाले न ही बेचे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 17 बावजूद तामील उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। विपक्षी सं. 18 की ओर से जवाब पेश नही करने से इनका जवाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071–74 राजस्व ग्राम रूपजी का गुडा टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द के खाता सं. 26 मे कुल आराजी किता 09 कुल रकबा 14–08 बीघा एवं राजस्व ग्राम उनवास तहसील खमनोर मे खाता सं. 315 कुल किता 07 कुल रकबा 01–10 बीघा जिसमे प्रार्थी एवं विपक्षी के पूर्वाधिकारी दर्ज हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार एवं खाता सं. 58 आराजी सं. 809/420 रकबा 3–03 बीघा मे भागवन्ती बाई पति प्यारेलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज होना प्रकट होता है एवं प्रार्थी वर्तमान मे उक्त आराजीयात मे खातेदार दर्ज नही है। अतः वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी खातेदार नही होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति:–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही बनता है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की भूमियां है एवं वर्तमान मे प्रार्थी खातेदार नही है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः यदि किसी भी पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति दूसरे पक्षकार को होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.6.17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द